

पीतासीन अधिकारी - कपिल कुमार (आर.टी.एम)

1. जगदीश पुत्र हनुमानाराम जाति जाट निवासी विरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
2. सुभाष पुत्र बन्ने सिंह जाति जाट निवासी विरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
3. रोहिताश पुत्र सीताराम जाति जाट निवासी विरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू

बनाम

1. मनमरी पत्नी हरलाल जाति जाट निवासी विरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
2. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मनमोहन जाति जाट निवासी विरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
3. मनोज कुमार पुत्र मनमोहन जाति जाट निवासी विरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
4. चन्द्रकला पत्नी मनमोहन जाति जाट निवासी विरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
5. राजना देवी पुत्री मनमोहन जाति जाट निवासी विरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
6. सुमिता देवी पुत्री मनमोहन जाति जाट निवासी विरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
7. सुलोचना देवी पुत्री मनमोहन जाति जाट निवासी विरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
8. बिमला देवी पुत्री मनमोहन जाति जाट निवासी विरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
9. संजू देवी पुत्री मनमोहन जाति जाट निवासी विरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
10. देवेन्द्र पुत्र केशर जाति जाट निवासी विरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
11. सुभाषचन्द्र पुत्र केशर जाति जाट निवासी विरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
12. महावीर पुत्र केशर जाति जाट निवासी विरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
13. नाराणी पत्नी स्व. केशर जाति जाट निवासी विरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
14. बजरंग पुत्र कलूशम जाति जाट निवासी विरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
15. शिशराम पुत्र कलूशम जाति जाट निवासी विरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
16. दाखादेवी पत्नी स्व. हीराराम जाति जाट निवासी विरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
17. गोपीराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी विरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
18. भगवानाराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी विरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
19. महेन्द्र कुमार पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी विरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
20. मुकेश कुमार पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी विरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
21. छोटीदेवी पत्नी बनवारीलाल जाति जाट निवासी विरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
22. सुनिता पुत्री बनवारीलाल जाति जाट निवासी विरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
23. सुशिला पुत्री बनवारीलाल जाति जाट निवासी विरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू

-: निर्णय :-

दिनांक: 27.02.2020

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण सम्यक तामिल के बावजूद अनुपस्थित व अप्रार्थीगण मनमरी की ओर से एडवोकेट चन्द्रकान्त शर्मा उपस्थित। संक्षेप में पत्रावली का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण जगदीश पुत्र श्री हनुमानाराम, सुभाष पुत्र बन्नेसिंह, रोहिताश पुत्र सीताराम जाति जाट निवासीगण विरोल तहसील नवलगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम विरोल स्थित भूमि खसरा नं० 863, 864, 865 में आने जाने वाले कटाण के रास्ते को खसरा न. 887, 888, 890, 861, व 858 के खातेदारों द्वारा बन्द कर दिया गया बताया जिसकी जांच पटवारी हल्का विरोल व गिरदावर हल्का नवलगढ़ से करवायी गई, प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम विरोल में स्थित भूमि ख.न. 887, 888, 890, 864, 860, 861 व 858 में से होता हुआ डोटेशुदा कटानी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त रास्ता मौके पर खसरा नं० 887, 888, 890, 861, व 858 के खातेदारों द्वारा बन्द कर दिया गया है। खसरा न. 863, 864, 865 में जाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। गिरदावर व पटवारी हल्का रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को इस न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी सम्यक तामिल के बावजूद अनुपस्थित तथा अप्रार्थीगण मनमरी की ओर से एडवोकेट चन्द्रकान्त शर्मा ने वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा तथा शेष अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

अप्रार्थी गणों 1 से लगायत 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें तथ्य दर्शाया गया कि आवेदकगण जगदीश वगैरा भूमि खसरा न. 862,863,864,865 के खातेदार हैं, जिसके अन्दर से कटान का रास्ता होना दर्ज किया है तथा इसी रास्ते को खुलवाने बाबत यह प्रार्थना पत्र पेश किया है, जबकि इनके खाते की जमीन में मौके पर कोई रास्ता मौजूद नहीं है। रास्ता ना पहले था और ना ही आज है, खुद शिकायतकर्ता ने खसरा न. 862, 863, 864,




865 की भूमि के चारो तरफ करीब 30 साल पूर्व इन खसरा नम्बर के चारो तरफ पक्की दीवार बनाकर मकान बनाकर आबाद चले आ रहे है। इससे यह स्पष्ट है कि कोई रास्ता वर्षों से ही मौके पर नहीं है। डोटेड लाईन कभी भी रास्ते का नहीं होता है, पगडण्डी होती है वो भी नक्शे में गलत दर्शायी हुई है, मौके पर कोई रास्ता व पगडण्डी नहीं है, ना पहले कभी थी, जिसको नक्शे से हटाने के लिये विधि अनुसार दावा किया जा रहा है। मौके पर खसरा न. 858 की पश्चिमी सीमा से खसरा नम्बर 887 की पूर्वी तक मौके कोई रास्ता मौजूद नहीं है उक्त डोटेड रास्ता 20 से 30 वर्षों से चालू नहीं होने के कारण सुखाचार बनने का सवाल ही नहीं होता है।

प्रकरण में भू.अ.नि. नवलगढ से इस न्यायालय के पत्रांक: राजस्व/2018/1032 दिनांक 09.10.2018 द्वारा वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। इस संबंध में पत्रावली में शामिल भू.अ.नि. से प्राप्त फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार ग्राम बिरोल में स्थित भूमि ख.न. 887, 888, 890, 864, 860, 861 व 858 में डोटेड लाईन सम्बन्धित खातेदार की खातेदारी मे दर्ज है। रास्ते के अलग से ख.न. नहीं है तथा रास्ता निजी खातेदारी में दर्ज भूमि ख.न. 858, 860, 861, 864, 887, 888 तथा 890 में दर्ज रिकॉर्ड है। ख.न. 858 की खातेदारी देवेन्द्र, सुभाषचन्द्र, महावीर पुत्र केशर, नारायणी पत्नी स्व. केशर हिस्सा 1/3 बजरंग शीशराम पुत्र कालूराम हिस्सा 2/3 जाति जाट के नाम ख.न. 860 की खातेदारी नोरंग पुत्र गोरधन कोम जाट के नाम ख.न. 861 की खातेदारी दाखादेवी पत्नी स्व. हीराराम गोपीराम भगवानाराम महेन्द्र कुमार पुत्र हीराराम मुकेश कुमार पुत्र बनवारी लाल, छोटीदेवी पत्नी बनवारी लाल सुनीता सुशीला पुत्रियां बनवारीलाल जाति जाट के नाम ख.न. 864 की खातेदारी नोरंग पुत्र गोरधन हिस्सा 1/2 , जगदीश, सीताराम पुत्र हणमान फूलीदेवी पत्नी बन्नेसिंह, सावित्री पुत्री बन्नेसिंह , सुभाष पुत्र बन्नेसिंह, सुस्ती, बसंत पुत्रिया हनुमान कोम जाट के नाम ख.न. 887 की खातेदारी राजेन्द्र प्रसाद मनोज कुमार पुत्र मनमोहन, सज्जना देवी , सुभिता देवी, सिलोचना देवी, बिमला देवी, संजू देवी पुत्रियां मनमोहन, चन्द्रकला पत्नी स्व. श्री मनमोहन जाति जाट ख.न. 888, 890 की खातेदारी मनभरी पत्नी हरलाल जाति जाट के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जिसमें से डोटेड लाईन का खातेदारी का रास्ता दर्ज हैं जो कि मौके पर वर्तमान में बन्द है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं भू0अ0नि0 रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। ग्राम बिरोल में स्थित भूमि ख.न. 887, 888, 890, 864, 860, 861 व 858 में डोटेड लाईन लाईन रास्ता दर्ज है। डोटेड रास्ते भू-प्रबन्धक द्वारा अस्थाई रास्तो के लिये नक्शे में अंकित किये जाते है। उक्त रास्ता को खोलने संबंधी दिनांक 23.08.2016 को कुछ काश्तकरों द्वारा फसल काटने के पश्चात खोलने की भी सहम्मती गई थी। अतः बिरोल में स्थित भूमि ख.न. 887, 888, 890, 864, 860, 861 व 858 में डोटेड लाईन रास्ता को प्रचलित रास्ते के रूप में खोले जाने के आदेश दिये जाकर गिरदावर हल्का एवं पटवारी हल्का को उक्त रास्ता खोले जाने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




कपिल कुमार
तहसील अधिकारी नवलगढ़
भू.अ.नि.